बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या:– 3/अ0प्र0–1–399/2013 613 /पटना, दिनांक :– 24.2.2020

श्री ध्रुव प्रसाद मुंशी, तदेन सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, भागलपुर के विरूद्ध पदस्थापन काल (वर्ष 2011–2012) में भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगॉव तथा नवगछियॉ अनुमडल में स्थानीय सांसद निधि से कराये जाने वाली आठ विभिन्न योजनाओं के निर्माण कार्य में व्यापक गड़बड़ी, जालसाजी एवं घोटाले के लिए दर्ज निगरानी थाना कांड संख्या–60/2013 दिनांक 20.09.2013 के आलोक में आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 3648 अनु0 दिनांक 10.10.2014 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री मुंशी द्वारा दिनांक 17.12.2014 को समर्पित स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, भागलपुर से मंतव्य की अपेक्षा की गई। जिला पदाधिकारी, भागलपुर का मंतव्य अप्राप्त रहने की स्थिति में श्री मुंशी के स्पष्टीकरण का विभाग द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोरान्त स्पष्टीकरण को अस्वीकार योग्य पाते हुए, श्री मुंशी के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या–1012 दिनांक 17.03.2016 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 एवं 17 के तहत अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 09 अनु0 दिनांक 25.01.2019 द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री ध्रुव प्रसाद मुंशी, तदेन सहायक अभियंता, सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित माने जाने का मंतव्य दिया गया।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन से सहमत होते हुए विभागीय पत्रांक 473 अनु0 दिनांक 21.02.2019 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) के तहत श्री मुंशी से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री मुंशी से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान की समीक्षा अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन से करायी गयी। अधीक्षण अभियंता, गुणवता प्रबंधन द्वारा की गयी समीक्षा में श्री मुंशी के बचाव बयान पर यह मंतव्य दिया गया कि आठों योजनाओं को जॉंच तिथि के बाद पूर्ण कराया गया तथा जॉंच तिथि को बिना कार्य कराये मापी पुस्त में मापी दर्ज करने के बिंदु पर श्री ध्रुव प्रसाद मुंशी द्वारा द्वितीय बचाव बयान में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अतएव द्वितीय बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं है। अतः आरोप प्रमाणित होता है।

5. इस बीच श्री ध्रुव प्रसाद मुंशी, सहायक अभियंता के दिनांक 31.11.2016 को सेवानिवृत हो जाने की स्थिति में श्री मुंशी के विरूद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही को विभागीय अधिसूचना संख्या–2959 सह पठित ज्ञापांक–2960 दिनांक 17.10.2019 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत सम्परिवर्तित कर दिया गया।

6. एक अन्य मामले में श्री ध्रुव प्रसाद मुंशी तदेन सहायक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत को विभागीय अधिसूचना संख्या–3408 दिनांक 20.11.2019 द्वारा पेंशन की 10 प्रतिशत की मासिक कटौती अगले 05(पॉच) वर्षो का दण्ड संसूचित किया गया है।

7. श्री ध्रुव प्रसाद मुंशी, तदेन सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या–3408 दिनांक 20.11.2019 द्वारा संसूचित पेंशन से 10 प्रतिशत की मासिक कटौती अगले पॉच वर्षो तक करने दण्ड के अतिरिक्त प्रश्नगत मामले में प्रमाणित आरोपों के लिए पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत उनके पेंशन से 5 प्रतिशत की कटौती अगले पॉच वर्षो तक करने की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन किया गया।

8. उक्त अनुमोदित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 3032 अनु० दिनांक 28.10.2019 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की मांग की गयी, जिसके आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 3010 दिनांक 14.02.2020 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की गयी।

9. अतः उक्त के आलोक में श्री ध्रुव प्रसाद मुंशी, तदेन सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी0) के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या 3408 दिनांक 20.11.2019 द्वारा संसूचित दण्ड के अतिरिक्त उनके पेंशन से 5 प्रतिशत की कटौती अगले पॉच वर्षो तक करने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
24/2/2020
(मनोज कुमार)
उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–399/2013 614 /पटना, दिनांक :– 24.2.2020

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को एक अतिरिक्त प्रति एवं सीडी0 के साथ राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

24/2/2020
उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–399/2013 614 /पटना, दिनांक :– 24.2.2020

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/संबंधित कोषागार/ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/2020
उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–399/2013 614 /पटना, दिनांक :– 24.2.2020

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/2020
उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–399/2013 614 /पटना, दिनांक :– 24.2.2020

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/निगरानी विभाग/जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/योजना एवं विकास विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/जिला कोषागार भागलपुर सिवान/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/ कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, भागलपुर/ अधीक्षण अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य अचंल, भागलपुर /अवर सचिव, स्थापना, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–6/लेखा शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/ श्री ध्रुव प्रसाद मुंशी, तदेन सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत पताः–राजेन्द्र नगर, रोड– गोरखनाथ अपार्टमेंट, फलैट न0–504, पोस्ट–राजेन्द्र नगर, पटना। को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/2020
उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–399/2013 614 /पटना, दिनांक :– 24.2.2020

प्रतिलिपि :– सचिव, बिहार, लोक सेवा आयोग, बेली रोड, पटना को आयोग के पत्रांक 3010 दिनांक 14.02.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/2020
उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–399/2013 614 /पटना, दिनांक :– 24.2.2020

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

24/2/2020
उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–399/2013 614 /पटना, दिनांक :– 24.2.2020

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/2020
उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–399/2013 614 /पटना, दिनांक :– 24.2.2020

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव
24/2/2020